बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संचिका संख्या—09/निधि—(OPRMC)—01—07/2025— 218 (S)wef पटना, दिनांक : 16/3/26

सेवा में, कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग (संलग्न आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय :— वित्तीय वर्ष 2025—26 में माँग संख्या—41 अधीन मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष—03 — राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष—103—रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष— 0002—अन्य अनुरक्षण व्यय, विषयशीर्ष— 0002.27.02 — अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

आदेश :— उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 में संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ —2 में अंकित प्रमंडलों/निगम/कार्यालय के लिए स्तम्भ—4 में अंकित राशि के अनुरूप वर्त्तमान में कुल राशि **₹38,85,40,295/—(अड़तीस करोड़ पचासी लाख चालीस हजार दो सौ पंचानवे रूपये)** मात्र आवंटित किया जाता है।

2 यह व्यय उपर्युक्त माँग संख्या— 41, मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष 03 — राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष —103 — रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष 0002—अन्य अनुरक्षण व्यय, विषयशीर्ष —0002.27.02— मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है। इस राशि का विपत्र कोड—41-3054031030002 है।

3 यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0— 2561/वि॰(2) दिनांक— 17.04.1998, पत्रांक— 227/ वि॰, दिनांक— 28.03.2025, पत्रांक—235 /वि॰ दिनांक—01.04.2025, ज्ञापांक—18/BCF-230/2025 दिनांक—06.10.2025 एवं **पत्रांक—191 दिनांक—16.02.2026** में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4 प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध वित्त विभाग के पत्रांक—एम0—4—53/2007—6439 दिनांक—28.08.18 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।

5 संबंधित निगम/ प्रमंडल / कार्यालय विभागीय पत्र सं0— 4099(एस॰) दिनांक—11.05.2017, पत्र सं0— 901(ई॰) दिनांक—08.02.2018 एवं 3723(ई॰), दिनांक— 14.05.2019 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि का व्यय करेंगे।

6 यह आवंटन स्वीकृत योजनाओं हेतु आवंटन विवरणी के स्तम्भ—6 में अंकित आपके पत्रांक / दिनांक तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में दी जा रही है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उक्त स्वीकृत्यादेशों मे किये गये प्रावधानों एवं निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7 आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

8 विगत वित्तीय वर्षो की स्वीकृत एवं एकरारनामित योजनाओं, जिनके विरूद्ध कार्य का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है, के सम्बंध में आवश्यक स्पील ओभर की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9 यह व्यय प्रशासनिक / प्रावैधिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।

10 **वर्त्तमान आवंटन में OPRMC-II के व्यय हेतु विशिष्ट रूप से निदेशित किया जाता है कि पैकेज वार अधिकतम व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुज्ञेय सीमा से 20 प्रतिशत अधिक तक सीमित रखी जाय। किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञेय सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाय अन्यथा अधिकाई व्यय की पूर्णतः जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।**

11 कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्गत आवंटन का उपयोग उन पथों/पथांशों के लिए किय जाएगा, जिनका सेवा स्तर (Service level) MBD में प्रावधानित मानक के अनुरूप है।

12 वैसे पथ / पथांश, जिनका सेवा स्तर प्रावधानित मानक के अनुरूप नहीं है एवं पथ में कराये गये कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं है, का भुगतान MBD में प्रावधानित कटौतियों यथा Deductions for Non-compliance, Liquidated damage आदि का नियमानुसार समायोजन के उपरान्त ही किया जाए। अगला कोई भी भुगतान के पूर्व कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखापाल यह सुनिश्चित कर लेगें की एकरारनामा की तिथि से इस भुगतान तक एजेंसी से जो भी कटौतियाँ अनुमान्य होती है, उसे अनिवार्यतः कटौती कर ली जाय।

भविष्य में कार्यपालक अभियंता द्वारा पारित किये जाने वाले प्रत्येक विपत्र पर कनीय अभियंता/सहायक अभियंता से यह प्रमाण पत्र अंकित कराया जाय कि "MBD के अन्तर्गत सेवा स्तर संधारण में कमी/विलंब हेतु नियमानुसार कटौती कर ली गई है"। सरकारी राशि के नियमानुसार व्यय के लिए कार्यपालक अभियंता जिम्मेदार होंगें।

13 खर्च को आवंटित राशि तक सीमित रखा जाय तथा किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक खर्च नहीं किया जाय तथा किसी तरह के अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। बकाये राशि की शुद्धता एवं देयता की जॉच निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने स्तर से कर लेंगे एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेगें। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार समझे जायेगें।

14 कुल आवंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में निश्चित रूप से महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार को उपलब्ध कराते हुए मदवार/कार्यवार मिलान कराया जाय तथा मिलान की एक प्रति विभाग में निश्चित रूप से समर्पित किया जाय, अन्यथा अगला आवंटन देना सम्भव नहीं होगा।

15 यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–2026 में नहीं हो सके तो बचत की राशि का प्रत्यार्पण दिनांक–16.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

16 प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

17 इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनु0 – यथोक्त।

16.3.2026

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

16/03/26

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या–09/निधि–(OPRMC)–01–07/2025– 218 (S) पटना, दिनांक : 16/3/26

प्रतिलिपि– अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव/सचिव कोषांग, प0नि0वि, पटना /सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता / अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, प0नि0वि0, पटना / मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प0नि0वि0, पटना /संयुक्त सचिव (प्र0को0), प0नि0वि0, पटना /अधीक्षण अभियंता (अनु0), प0नि0वि0, पटना / अधीक्षण अभियंता (बजट), प0नि0वि0 / कार्यपालक अभियंता (बजट–1), प0नि0वि0/ आई॰टी॰ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–9, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2026

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

16/03/26

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

संचिका संख्या—09/निधि—(OPRMC)—01—07/2025— 218 (S) wef पटना, दिनांक : 16/3/26

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, संख्या—1, जहानाबाद।	16,54,50,000	2,00,00,000	18,54,50,000	EE 189/21.02.2026
2	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज।	19,66,43,243	1,11,75,303	20,78,18,546	CE (Sim) 980/23.07.2025 EE 40/09.01.2026
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार।	38,90,00,000	94,83,000	39,84,83,000	CE (N) 1342/25.09.2025 95/16.01.2026 EE 375/23.02.2026
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं0 1, औरंगाबाद	17,95,00,000	25,00,000	18,20,00,000	EE 1545/13.11.2025 CE (S) 772/23.02.2026
5	कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा	47,96,16,144	10,00,00,000	58,46,16,144	EE 711/19.02.2026
			50,00,000		CE (S) 2043/17.06.2025 & 3597/03.10.2025 & 3771/24.10.2025 & 3704/13.10.2025 & EE 718/19.02.2026
6	कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,बिहारशरीफ।	30,00,000	21,46,000	51,46,000	CE NH (S) 32/05.01.2026, 3669/ 11.12.2025 & 3513/25.11.2025 EE 213/24.02.2026
7	कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,समस्तीपुर।	20,00,000	5,69,954	25,69,954	CE NH (N) 2545/11.08.2025 EE 186/24.02.2026
8	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा	16,20,00,000	22,54,492	16,42,54,492	CE (Sim) 396/24.02.2026
9	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगुसराय	27,63,49,700	3,00,00,000	30,70,31,335	EE 258/12.02.2026
			6,81,635		CE (N) 1438/13.05.2025 EE 207/02.02.2026
10	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा	93,30,472	6,12,019	99,42,491	CE (Sim) 298/13.02.2026

Sd

आवंटन विवरणी

संचिका संख्या–09/निधि–(OPRMC)–01–07/2025– 218 (8) पटना, दिनांक : 16/3/26

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
11	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा	14,00,51,780	13,82,712	14,14,34,492	CE (N) 684/17.02.2026
12	कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) प्रमंडल, डेहरी ऑन–सोन	35,32,506	14,93,743	50,26,249	CE (Mech) 511/15.12.2025 EE 65/27.02.2026
13	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णिया	64,65,13,418	52,41,437	65,17,54,855	CE (Sim) 1384/1385/ 10.10.2025 1539/21.11.2025 199/02.02.2026 & EE 392, 393 & 394 / 26.02.2026
14	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेतिया	41,00,00,000	10,00,00,000	51,60,00,000	EE 415/22.02.2026
			60,00,000		CE (N) 775/26.02.2026
15	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी।	18,18,88,669	5,00,00,000	23,18,88,669	EE 345/26.02.2026
16	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा	16,86,34,780	4,00,00,000	20,86,34,780	EE 66/22.01.2026
	कुल योग	**341,35,10,712**	**38,85,40,295**	**380,20,51,007**	

वर्तमान आवंटित राशि (शब्दों में)– अड़तीस करोड़ पचासी लाख चालीस हजार दो सौ पंचानवे रूपये मात्र।

16.3.2026

(अंजनी कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

16/3/26

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sec- 9\ALLOTMENT 2025-26\2025- 26 OPRMC\0002- OPRMC (2025- 26)st-1 (2025-21) (16)